न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2017

बउनवान

बादामबाई पत्नि कालीचरण उम्र 80 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ढिकवानी तहसील शाहाबाद, जिला बारां, राज0 **(निगराकार)**

बनाम

1. कृष्ण पुत्र गीताप्रसाद जाति ढीमर निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद
2. सुरेशचन्द पुत्र अमृतलाल किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां, राज0

(गैरनिगराकारान)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

निगरानी बाबत निरस्त किये जाने भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत समरानिया दिनांक 15.04.1976 एवं 07.05.1976 पट्टा संख्या 7 अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक **(गैरनिगराकारान)**

निर्णय दिनांक 31.05.2024

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ढिकवानी में एक भूखण्ड चर्तुसीमा पूरब गांव वालो का खलियान, पश्चिम में खाली जगह, उत्तर में रास्ता खाली जगह, दक्षिण खाली जगह है जिसकी साईज लगभग 30x30 कुल 900 वर्गफीट है जो प्रार्थिया के स्वामित्व एवं कब्जे का है, जिसमें एक दोमंजिला मकान स्थित है। उक्त मकान को बेइमानी से हड़पने की नियत से अप्रार्थीगण ने मिलकर एक फर्जी प्रार्थिया के पति कालीचरण पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढिकवानी तहसील शाहाबाद पट्टा संख्या 7 दिनांक 07.05.1976 बना लिया है तथा अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त पट्टे के आधार पर एक वसीयत दिनांक 01.11.2016 को तैयार कर ली है एवं उक्त सम्पत्ति को हडपना चाहता है। इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 2 ने उक्त प्लाट में निर्मित दो दुकानों का एक विक्रयनामा दिनांक 10.12.2016 को अपने नाम तैयार कर लिया है। अप्रार्थीगण ने उक्त फर्जी बनावटी एवं कूटरचित पट्टे के आधार पर उक्त वसीयत एवं विक्रय पत्र तैयार किये हैं। ग्राम पंचायत समरानिया ने दिनांक 07.05.1976 को पट्टा नंबर 7 कालीचरण पुत्र सुन्दरलाल निवासी ढिकवानी के नाम जारी नहीं किया है। अप्रार्थीगण ने उक्त पट्टे के आधार पर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश शाहाबाद में प्रार्थिया के विरूद्ध हक घोषणा का वाद दायर किया है तथा उक्त वाद में उक्त पट्टा पेश किया है। अतः पट्टा संख्या 7 ग्राम समरानिया तहसील शाहाबाद दिनांक 07.05.1976 विक्रय विलेख पट्टा ग्राम पंचायत समरानिया बहक कालीचरण पुत्र सुन्दरलाल ब्राह्मण निवासी ढिकवानी को शून्य एवं अवैध करार [illegible]

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] गैर निगराकारान को तथा अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible] का रेकार्ड [illegible] किया गया।

गैर निगराकारान जर्ये [illegible] जवाब इस [illegible] का पेश किया कि पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा [illegible]। जिसे निरस्त [illegible] प्रार्थीया अधिकारी नही है। कार्यवाही अन्दर मियाद भी नही है। सुरेश अप्रार्थी द्वारा कालीचरण पट्टाधारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:34:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

से संपत्ति क्रय कर लेने से प्रार्थीया ने परिवार के सदस्यो से मिलकर ताकत के बल पर सुरेश को बेदखल करने के आशय से पट्टा फर्जी बताकर यह कार्यवाही प्रस्तुत की है, जो निरस्तनीय है। सुरेशचन्द द्वारा सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद न्यायालय ए.सी.जे.एम शाहाबाद के यहां प्रस्तुत किया है, जिसमें पट्टे के आधार पर सम्पत्ति कालीचरण से खरीद करना अभिवचन किया है, जिसका विचारण लंबित है। पट्टा बाबत सिविल न्यायालय में वाद लंबित होने एवं यह कार्यवाही पश्चातवर्ती होने से पोषणीय नही है। विवादित बताया जा रहा पट्टा वैद्य है, एवं नियमानुसार जारी किया गया है, जिसे निरस्त करवाने की प्रार्थीया अधिकारी नही है। प्रार्थीया को कार्यवाही करने का विधिक अधिकार प्राप्त नही है। कालीचरण की पुत्री कृष्णा पत्नि प्रवीण जिसके पक्ष में दिनांक 01.11.2016 को वसीयत की हुई है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। बादामबाई प्रार्थीया कालीचरण की बड़ी पत्नि है, छोटी मुन्नीबाई है। दोनो की संतानो के आपसी झगडे के कारण बादामबाई जो कालीचरण से 39 वर्षो से पृथक रहती थी, ने कालीचरण की सम्पत्ति हड़पने के लिए यह कार्यवाही स्वयं के स्वामित्व एवं कब्जे की सम्पत्ति होना बताकर प्रस्तुत की है, जो निस्तनीय है। प्रार्थीया एवं पुत्र घनश्याम द्वारा सम्पत्ति को कालीचरण की स्वीकार किया हुआ है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की कार्यवाही मय खर्चा खारिज फरमायी जावें।

रेकार्ड के संबंध में अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 05.02.2024 से अवगत कराया गया कि वांछित मूल पट्टा संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। ग्राम पंचायत मे पूर्व का रेकार्ड उपलब्ध नही होने के कारण उक्त मूल पट्टा उपलब्ध करवाने में असमर्थ है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त नही होने पर हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकारान ने फर्जी एवं कूटरचित पट्टा क्रमांक 7 ग्राम पंचायत समरानिया द्वारा निगराकार के पति कालीचरण पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढिकवानी तहसील शाहाबाद के नाम बनवाया गया। तथा अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त पट्टे के आधार पर एक फर्जी वसीयत तैयार कर उक्त सम्पत्ति को हडपना चाहता है। अप्रार्थी क्रम 2 ने उक्त भूखण्ड में निर्मित दो दुकानों का विक्रय पत्र अपने नाम से तैयार किया है। ग्राम पंचायत समरानिया ने पट्टा नंबर 7 कालीचरण पुत्र सुन्दरलाल निवासी ढिकवानी के नाम जारी नहीं किया है। अतः पट्टा संख्या 7 ग्राम समरानिया तहसील शाहाबाद दिनांक 07.05.1976 विक्रय विलेख पट्टा ग्राम पंचायत समरानिया बहक कालीचरण पुत्र सुन्दरलाल ब्राह्मण निवासी ढिकवानी को शून्य एवं अवैध करार देते हुये निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार ने जवाब निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूखण्ड का पट्टा कालीचरण पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढिकवानी तहसील शाहाबाद के नाम जारी है। प्रस्तुत निगरानी में कालीचरण के देहान्त की दिनांक दर्ज नही की गई है। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। जिसे निरस्त करवाने की प्रार्थीया अधिकारी नही है। निगराकार द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्दर मियाद भी नही है। सुरेशचन्द द्वारा सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद न्यायालय ए.सी.जे.एम शाहाबाद के यहां प्रस्तुत किया है, जिसमें पट्टे के आधार पर सम्पत्ति कालीचरण से खरीद करना अभिवचन किया है, जिसका विचारण लंबित है। पट्टा बाबत सिविल न्यायालय में वाद लंबित होने एवं यह कार्यवाही पश्चातवर्ती होने से पोषणीय नही है। तथा विवादित बताया जा रहा पट्टा वैद्य है, एवं नियमानुसार जारी किया गया है। [illegible] मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:34:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विचारण किया गया। न्यायहित में निगरानी पेश करने में हुई देरी क्षम्य की जाकर निगरानी विचारार्थ ग्राह्य की जाती है।

चूंकि प्रकरण से सम्बन्धित वाद माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, शाहाबाद में विचाराधीन होना उभयपक्ष ने स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में निगराकार को उसी वाद में पट्टे के विरूद्ध चाराजोही करनी चाहिये था। अभिभाषक गैर निगराकारान के इस कथन का भी अभिभाषक निगराकार ने खण्डन नहीं किया कि यह कार्यवाही पश्चातवर्ती है। इससे स्पष्ट है कि यह कार्यवाही माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, शाहाबाद में वाद जैरकार रहते हुये पेश की गई है। साथ ही हम अभिभाषक निगराकार के इस कथन से भी सहमत नहीं हैं कि उक्त पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने से ही उक्त पट्टे का रेकार्ड ग्राम पंचायत समरानिया में उपलब्ध नही है। परिणामस्वरूप हस्तगत निगरानी सारहीन होना पाई जाती है।

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:34:32 IST
Reason: SelfAttested